

2019/00386

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 372/2019 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक
नगर जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. बनवारी लाल सैनी पुत्र श्री राम किशन माली
पता-निवासी मालियों की ढाणी, ग्राम एवं पोस्ट रायसर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. कैलाश चन्द माली पुत्र श्री राम किशन माली उर्फ रामकिशन सैनी
निवासी ग्राम एवं पोस्ट रायसर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
3. रामकिश माली उर्फ रामकिशन सैनी पुत्र श्री नानगा राम सैनी
पता-निवासी मालियों की ढाणी, रायसर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री अखिल मोदी अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।



आदेश

दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.09.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी बनवारी लाल सैनी के स्वाभित्त का ग्राम रायसर स्थित आवासीय पट्टा नम्बर 16, ग्राम पंचायत रायसर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 300 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में अप्रार्थीगण ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर, 2018 से सरफेंसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र कमशः इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नव ज्योति में दिनांक 20.08.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी बनवारी लाल सैनी के स्वामित्व का ग्राम रायसर स्थित एवं बन्धक आवासीय पट्टा नम्बर 16, ग्राम पंचायत रायसर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर क्षेत्रफल 300 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
- आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगरूप सिंह यादव)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर